प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2020

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में समन्वित विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1600/अधि0नि0 (वित्त) /निधि-।।/ आई0पी0डी0एस0/399(एफ)/15-16, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के बजट में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में समन्वित विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 95,00,00,000/- (रूपये पंचान्नबें करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 65,83,00,000/- (रूपये पैंसठ करोड़ तिरासी लाख मात्र) में से पी0एफ0सी0, नई दिल्ली द्वारा अनुदान के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 42,10,00,000/- (रूपये बयालिस करोड़ दस लाख मात्र) को समायोजन के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा नकद न करके पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय समाज कल्याण विभाग के बजट में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05- समन्वित विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वितरण कार्यो हेतु अंशपूँजी (के-60/रा.10/नि.30-के.) -30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि को लेखाशीर्षक 0801-बिजली-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-800-अन्य प्राप्तियॉ-01-ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंशपूँजी हेतु भारत सरकार से प्राप्त के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 358 /दस-2019, दिनांक 08 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

संख्या- 04 /2020/2751(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
2- समाज कल्याण विभाग, बजट प्रकोष्ठ।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
5- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in